

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 724/2016
संस्थित दिनांक 30.11.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मप्र
वि रु द्ध

- **अभियोगी**

1. अमृत पिता तेजा मारु, उम्र 34 वर्ष,
निवासी हतौला, थाना अंजड़
2. लखन पिता भागीरथ मारु, उम्र 26 वर्ष,
निवासी हतौला, थाना अंजड़
3. त्रिलोक पिता तेजा मारु, उम्र 32 वर्ष,
निवासी हतौला, थाना अंजड़

- **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी

अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री विशाल कर्मा

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 23.03.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 284/2016 के आधार पर दिनांक 17.11.2016 को लगभग 5:00 बजे ग्राम हतौला फरियादी हिनाबाई के मकान में फरियादी हिनाबाई को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित करने के कारण भादवि की धारा 452 का आरोप है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षी आरोपीगण को जानते हैं तथा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भा.द.वि. की धारा 452 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.16 को फरियादी रीना ने थाना अंजड़ पर आरोपी के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम हतौला रहकर मजदूरी करती है। आज सुबह उसके पति राम के साथ गांव के लखन ने रास्ते पर आने जाने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, जिसका आपस में गांव में ही समझौता हो गया था, उक्त बात की रंजिश पर शाम 05 से 06 बजे के बीच वह घर में अकेली थी टी.वी. देख रही थी तभी अमृत मारु घर में घुस गया और गाली गुप्ता करने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो उसके साथ झुमा झटकी करने लगा तो वह भागकर बाहर आई और चिल्लाई तो उसके पति राम आ गये तो अमृत, लखन, तिलक तीनों उसके पति के साथ नंगी नंगी गालिया

देकर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे उसका देवर उदिया बीच बचाव करने गया तो उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट में उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई खुन निकल रहा था। कथुबाई और राजु ने आकर बीच बचाव किया तो तीनों धमकी देने लगे कि अब आने जाने की बात को लेकर झगडा किया तो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फिर वह उसके पति व देवर को साथ लेकर रिपोर्ट करने आई है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 284/16 दर्ज कर, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्तगण को भादवि की धारा 452 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया है।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 17.11.2016 को लगभग 5:00 बजे ग्राम हतौला फरियादी हिनाबाई के मकान में फरियादी हिनाबाई को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया?

- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -

06- उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी हीना उर्फ रीना (अ.सा.-1) का कथन है कि लगभग 3-4 माह पूर्व लगभग 6-7 बजे आरोपीगण उसके घर के बाहर उसके एवं उसके पति राम के साथ गालीगलोच देकर हाथ मुक्कों से मारपीट की थी तो उसका देवर उदिया ने बीच बचाव किया था। मारपीट में उसे भी चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसे उसके पति राम एवं देवर उदिया को ईलाज के लिये अंजड़ अस्पताल भेजा था, जहां पर उनका ईलाज हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन वह घर पर अकेली टीवी देख रही थी तभी आरोपी उसके घर के अंदर घुस आया था तथा उसने गालियां दी और गालियां देने से मना करने पर झुमाझटकी की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने घर के अंदर ही उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में ए से ए भाग वाली बात बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रही है।

07- पढ़री यादव (अ.सा.2) का कथन है कि उसे थाने के अपराध क.

284/16 की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा फरियादी हीना उर्फ रीना, राम, उदिया, कथूबाई, एवं राजू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 का बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने उसे घर के अंदर घुसने वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था और थाने पर बैठकर घटना स्थल का नक्शा मौका बना लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादिया अनपढ़ होकर निशानी अंगुठा लगाती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा फरियादियां को कथन पढ़कर नहीं बताये गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

08— राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रही है और उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 452 के अपराध के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा उनसे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध के लिये दोषाधिक नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 452 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

09— अतः आरोपी अमृत पिता तेजा मारु, उम्र 34 वर्ष, निवासी हतौला, थाना अंजड़, लखन पिता भागीरथ मारु, उम्र 26 वर्ष, निवासी हतौला, थाना अंजड़, त्रिलोक पिता तेजा मारु, उम्र 32 वर्ष, निवासी हतौला, थाना अंजड़ को भा.द.वि. की धारा 452 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए।

12— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.